कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य- 03/2025 **दिनांक 03/03/2025**

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,

वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

अपने पत्र संख्याःवीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720,दिनांकःजून 04,2020 व पत्र संख्याः41/6-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 02.03.2025** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना भांवरकोल पुलिस टीम द्वारा (288 पाउच) देशी शराब व 01 अदद मो0सा0 (विक्की) के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एंव अपराधियो के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थानाध्यक्ष भांवरकोल मय टीम द्वारा दिनांक 01.03.2025 को चेकिंग के दौरान मिर्जाबाद चट्टी पर मुखबीर खास की सूचना पर ग्राम ग्राम बदौली अदाई से एक मो0सा0 (विक्की) में शराब लदी जो बिक्री हेतु बिहार ले जा रहा है कि सूचना पर अभियुक्त के कब्जे से (288 पाउच) देशी शराब कुल 57.2 लीटर शराब मय मो0सा0 (विक्की) के साथ अभियुक्त जितेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र जगनरायण गुप्ता ग्राम अमावं थाना नरही जनपद बलिया उम्र 28 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 39/25 धारा 60 Ex. Act का अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1 .जितेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र जगनरायण गुप्ता ग्राम अमावं थाना नरही जनपद बलिया उम्र 28 वर्ष।

आपराधिक इतिहास -

1 .मु0अ0सं0 39/25 60 Ex. Act थाना भांवरकोल जनपद गाजीपुर।

बरामदगी –

1 .(288 पाउच) देशी शराब कुल 57.2 लीटर शराब

2 .मो0सा0 (विक्की) वाहन नं0 UP60 AP 6205

02. थाना भांवरकोल पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 35/25 धारा 137(2) बीएनएस से संबंधित लापता तीन किशोरों को किया गया सकुशल बरामद।

थानाध्यक्ष भांवरकोल विवेक कुमार तिवारी मय टीम द्वारा थाना भांवरकोल के ग्राम भदौरा से दिनांक 26.02.2025 को मेला देखने के नाम पर घर से लापता तीन किशोरों के सम्बन्ध में लगातार सर्विलांस व अन्य

स्त्रोतों के माध्यम से खोजबीन/बरामदगी का प्रयास किया जा रहा था जिस क्रम में आज दिनांक 02.03.25 को सूचना मिली कि उक्त तीनों किशोर गाजीपुर रेलवे स्टेशन के पास हैं। उक्त सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुँचकर तीनों किशोरों को सकुशल बरामद कर उनके परिजनों को सूचित किया गया जिनके द्वारा उक्त तीनों की पहचान कराकर परिजनों को सुपुर्द किया गया।

<u>03. थाना रेवतीपुर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 08/25, 09/25, 12/25, व 13/25 से संबंधित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।</u>

अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 02.03.2025 को प्रभारी निरीक्षक पवन कुमार उपाध्याय मय हमराह द्वारा रोकथाम जुर्म जरायम, तलाश वांछित अभियुक्त के गिरफ्तारी व सुरागरसी में ग्राम नवली में मौजूद थे कि श्री बक्सू बाबा कोचिंग एकैडमी नगदिलपुर मे उसके संचालक विनोद कुमार गुप्ता पुत्र उमाशंकर गुप्ता निवासी ग्राम नगदिलपुर थाना रेवतीपुर जनपद गाजीपुर के साथ उसकी कोचिंग पर रहकर काम मे सहयोग करने व कोचिंग मे पढ़ने वाले छात्र छात्राओं से पैसा लेकर नौकरी लगवाने के नाम पर धोखा धड़ी करके पैसे लेने व मांगने पर पैसा वापस नही करने तथा मुकदमा वापस लेने के लिए धमकाने का कार्य करने वाले सह अभियुक्त दीपू कुमार को माँ कामाख्या धाम मंदिर वहद् ग्राम गदाईपुर थाना गहमर के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तारशुदा अभियक्त का नाम व पता-</u>

1. दीपू कुमार पुत्र विधि सिंह उर्फ विभिन्न सिंह निवासी ग्राम धवही थाना सूर्यपुरा जनपद रोहतास, बिहार ,उम्र करीब 26 वर्ष

<u>आपराधिक इतिहास-</u>

1 . मु0अ0सं0 08/2025 धारा 191(2), 127, 319(2),318(4),336(3),338,74,352,351(3) बी0एन0एस0 थाना रेवतीपुर जनपद गाजीपुर

2. मु0अ0सं0 09/2025 धारा 191(2),127,74,352,351(3) बी0एन0एस0 थाना रेवतीपुर जनपद गाजीपुर

3. मु0अ0सं0 12/2025 धारा 191(2),127,74,352,351(3) बी0एन0एस0 थाना रेवतीपुर जनपद गाजीपुर

4 . मु0अ0सं0 13/2025 धारा 191(2), 127, 74, 352, 351(3) बी0एन0एस0 थाना रेवतीपुर जनपद गाजीपुर

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर